रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10072020-220456
CG-DL-E-10072020-220456

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 333] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 10, 2020/ आषाढ़ 19, 1942
No. 333] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 10, 2020/ASADHA 19, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2020

सा.का.नि. 436(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 जिसमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने का प्रस्ताव करती है, में और अधिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित प्रारूप कतिपय नियमों को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसकों सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।

इन प्रारूप नियमों पर आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकेंगे अथवा jspb-morth@gov.in; पर ई-मेल किए जा सकेंगे।

कोई आपत्तियां या सुझाव, जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के भीतर प्राप्त किए जाते हैं, पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ** - (1) इन नियमों को केंद्रीय मोटर यान (.....संशोधन) नियम, 2020 कहा जा सकता है।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय सरकार मोटर यान नियम, 1989 में, नियम 115-एच के पश्चात, निम्नलिखित नियम सम्मिलित किए जाएंगे, अर्थात:-

"115-आई. संपीड़ित गैसीय हाइड्रोजन ईंधन अणु पर चलने वाले मोटर यानों के लिए आवश्यकताएँ:.- (1)

संपीडित गैसीय हाइड्रोजन ईंधन अणु पर चलने वाले एम और एन श्रेणियों के मोटर यान, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 के 11) के तहत संगत बीआईएस विनिर्देशनों के अधिसूचित होने तक, समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस 157:2020 के अनुरूप होंगे।

बशर्ते कि ईंधन अणु वाहनों के लिए हाइड्रोजन ईंधन विनिर्देशन आईएसओ 14687 के अनुसार होगा, जब तक कि संगत बीआईएस विनिर्देश भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (1986 के 11) के तहत अधिसूचित नहीं किया जाता है।"

[सं.आरटी-11036/41/2020-एमवीएल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपधारा (i) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांक 2 जून, 1989 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि..... ..दिनांकित.....द्वारा किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2020

G.S.R. 436(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL), email: jspb-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.;

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. Short Title and commencement.-(1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (……Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In Central Motor Vehicle Rules, 1989, after rule 115-H, the following rule shall be inserted, namely:-

"115-I. Requirements for the Motor vehicles running on Compressed Gaseous Hydrogen Fuel Cell :.-(1.)

Motor vehicles of Categories M and N, running on Compressed gaseous hydrogen fuel cell, shall be in accordance with AIS 157:2020, as amended from time to time, till the corresponding BIS specification is notified under the Bureau of Indian Standard Act, 2016 (11 of 2016).

Provided that the hydrogen fuel specifications for fuel cell vehicles shall be in accordance with ISO 14687 till the corresponding BIS specification is notified under the Bureau of Indian Standard Act, 2016 (11 of 1986)."

[No. RT-11036/41/2020-MVL]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2ndJune, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. _____(E) dated _____.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.07.10 18:06:15 +05'30'